न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 31/2022	धारा अन्तर्गत 88,89,90,53आर टीएक्ट	निर्णय दिनांक : 11.02.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री गोविन्द सिंह एड0	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

जयवर्धनसिंह चौधरी पुत्र श्री सूरज जाति जाट निवासी ग्राम पाठेडा तहसील बारां नाबालिग जर्ये वली माता माता रक्षा जाट पत्नि सूरज जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0 वादीगण

बनाम

1. सूरज पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाटनिवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. कोमल कुमारी पुत्री पुरूषोत्तम जाति जाटनिवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. लक्ष्मी कुमारी पुत्री पुरूषोत्तम जाति जाटनिवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. गोविन्द पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाटनिवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि–

प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित वाके ग्राम पाठेडा तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	दिशा
जयवर्धनसिंह चौधरी पुत्र नाबा0 सूरज जाति जाट सा0 देह नाबा0 की वली माता रक्षा जाट स्वयं	मि0 79	0.86 है0		–
	किता –1	0.86 है0		–
रक्षा जाट पत्नि श्री सूरज जाति जाट सा0 देह	मि0 79	0.86 है0		–
	किता –1	0.86 है0		–
सूरज पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाट सा0 देह	मि0 79	0.86 है0		–
	किता –1	0.86 है0		–
कोमल कुमारी पुत्री श्री पुरूषोत्तम जाति जाट सा0 देह हि0 1/3, लक्ष्मी कुमारी पुत्री पुरूाषोत्तम जाति जाट सा0 देह हि0 1/3, गोविन्द पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाट सा0 देह हि0 1/3	79 10 178 198 199 529 743 78 81 09	1.32 है0 0.07 है0 0.10 है0 0.96 है0 2.06 है0 1.58 है0 0.44 है0 0.11 है0 0.03 है0 1.16 है0		
	किता – 10	07.83 है0		

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेषित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .... 2023 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner

निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–31/22
दायरा दिनांक :– 23/03/22
निर्णय दिनांक :– 8.9.22

उनवान

जयवर्धनसिंह चौधरी आयु 7 वर्ष श्री सूरज जाति जाट निवासी ग्राम पाठेडा तहसील बारां नाबालिग जर्ये वली माता रक्षा जाट पत्नि सूरज जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

बनाम

1. सूरज पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाट
2. कोमल कुमारी पुत्री पुरूषोत्तम जाति जाट
3. लक्ष्मी कुमारी पुत्री पुरूषोत्तम जाति जाट
4. गोविन्द पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाट निवासीगण पाठेडा तहसील बारां जिला बारां
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 90 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांक :– 8.9.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह एड0–वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा53, 88, 89 व 90 राज0 टि0 एक्टविरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया वादी नाबालिग है जो अपनी प्राकृत माता श्रीमति रक्षा जाट पत्नि श्री सूरज जाति जाट निवासी पाठेडा के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रहा है। नाबालिग व उसकी माता के हित परस्पर समान है एक दूसरे के विपरित नहीं है। नाबालिग की माता अपने अवयस्क पुत्र के हक अधिकारी की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। इसलिए नाबालिग के भविष्य एवं उसके हकूको को सुरक्षित रखने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। आदेश 32 जा0 दी0 के तहत नाबालिग की ओर से वली नियुक्त कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन प्रथक से प्रस्तुत है। ग्राम पाठेडा पटवार हल्का पाठेडा तहसील बारां जिला बारां में खाता संख्या नया 323 पुराना 321 में 9 किता रकबा 10.41 है0 खातेदारान प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 राजस्व रिकार्ड में स्थित है। प्रतिवादी कम 1 वादी का पिता है जिसका उक्त खाते में 1/4 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नं0 10 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 198

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

रकबा 0.96 है0, खसरा नं0 199 रकबा 2.06 है0, खसरा नं0 529 रकबा 1.58 है0, खसरा नं0 743 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 78 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 79 रकबा 3.90 है0, खसरा नं0 81 रकबा 0.03 है0 कुल किता 10 रकबा 10.41

आराजियात पैत्रिक है वादी प्रतिवादी कम 1 का पुत्र है इसलिए विधित: प्रतिवादी कम 1 की आराजी में वादी का हक अधिकार निहीत है। इसलिए प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की आराजी इस वाद पत्र की विषयवस्तू है। प्रतिवादी कम 1 शराब एवं जुऐं आदी है शोकमिजाज है तथा वह उक्त आराजी को अपने शौक पूरे करने के लिए वादी को उसके हकूको से महरूम करना चाहता है तथा संपूर्ण आराजी में अपने हिस्से को रहन बेचान खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए वादी प्रतिवादी कम 1 के हिस्से की आराजी में हकूक हिस्से का खातेदार होने की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पृथक से दर्ज करवाने के अधिकारी है। इस हेतु वादी ने प्रतिवादी कम 1 से कहा कि आप खाता पृथक करवाकर राजस्व रिकार्ड में हमारा समभाग में नाम दर्ज करावे लेकिन प्रतिवादी कम 1 ने स्पष्ट धमकी दी है कि वह वादी को कोई हिस्सा नहीं देगा और आराजी को खुर्द बुर्द कर देगा। वादी ने प्रतिवादी कम 5 से भी कई बार निवेदन किया कि वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रतिवादी कम 1 की आराजी में वादी का हक हिस्सा दर्ज करें परन्तु वादी को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई और न्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी इसलिए वादी को जर्ये वली माता यह वाद प्रस्तुत करना पड रहा है।इस वाद को प्रस्तुत करने का वाद कारण अन्तिम बार प्रतिवादी कम 1 से आराजी में वादी का नाम दर्ज करवाने की कहने एवं उसके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर दिनांक 1–3–2022 को बमुकाम बारां उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकवाली जवाब पेश हुआ वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम पाठेडा तहसील बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं. 323 पेश की गई।

बहस अभिभासक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वादी नाबा0 है वह अपनी माता रक्षा के संरक्षण में रहकर परिवश पा रहा है विवादित आराजी ग्राम पाठेडा में स्थित है। प्रतिवादी कम 1 वादी का पिता है जिसका विवादित आराजी में 1/4 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है विवादित आराजी पैत्रक है वादी प्रतिवादी कम 1 का पुत्र है प्रतिवादी कम 1 की आराजी में वादी का हक अधिकार निहित है प्रतिवादी कम 1 शराब एवं जुऐ का आदी है। प्रतिवादी कम 1 अपने शौक पुरे करने के लिए जमीन बेचान करने पर आमादा है। वादी अपने हिस्से की भूमि का खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादी कम 1 द्वारा भूमि का बेचान कर दिया तो वादी को अपने हिस्से से महरूम होना पडेगा वादी को अपने हिस्से तक का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर पृथक से पृथक–पृथक [illegible] दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम पाठेडा सम्वत् 2072–75 खाता सं0 323 के अनुसार विवादित आराजी प्रतिवादी गण के खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4 दर्ज है। वादी अपने पिता के हिस्सा 1/4 में से अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहता है विवादित आराजी पैत्रक होने के कारण वादी अपने पिता के हिस्सा 1/4 में से अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर पृथक खाता किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पाठेडा के खाता सं. 323 के कुल खसरा नं. 10 किता रकबा 10.41 है0 में प्रतिवादी कम 1 के हिस्सा 1/4 में से वादी को उसके हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्रारंभिक डिक्री

वाद संख्या 31/2022	अन्तर्गत 53,88,89,90 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :– 8.9.22
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री गोविन्द सिंह–वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

जयवर्धनसिंह चौधरी आयु 7 वर्ष श्री सूरज जाति जाट निवासी ग्राम पाठेडा तहसील बारां नाबालिग जर्ये वली माता रक्षा जाट पत्नि सूरज जाति जाट निवासी पाठेडा तहसील बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. सूरज पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाट
2. कोमल कुमारी पुत्री पुरूषोत्तम जाति जाट
3. लक्ष्मी कुमारी पुत्री पुरूषोत्तम जाति जाट
4. गोविन्द पुत्र पुरूषोत्तम जाति जाट निवासीगण पाठेडा तहसील बारां जिला बारा
5. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पाठेडा के खाता सं. 323 के कुल खसरा नं. 10 किता रकबा 10.41 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्सा 1/4 में से वादी को उसके हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 8.9.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner